**अपील रसद प्रकरण संख्या 03/2022 (GCMS 2022/90) अनवान् गुरप्रीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी मकान संख्या 36, अमलोह सूर्या इन्कलेव, वार्ड नम्बर 10, तहसील खन्ना जिला लुधियाना (पंजाब) बनाम उप पंजीयक अधिकारी (पंजीयन एवं मुद्रांक) अनूपगढ श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अधिवक्ता न्यायालय जिला कलेक्टर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**09.05.2022**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन था कि** अपीलार्थी के नाम चक 67 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 90/87 एवं 81/83 में कुल 3.130 हैक्टेयर कृषि भूमि मय खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी को अपने दादा से जरिये वसीयत प्राप्त हुई थीं अपीलार्थी एवं उसके भाई को अपने दादा हरी सिंह से बहिस्सा बराबर कृषि भूमि प्राप्त हुई थी जो दोनों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में उनके दादा की मृत्यु के उपरान्त वर्ष 2014 में दर्ज हो गई। जो कृषि भूमि अपीलार्थी एवं उसके भाई सुखदीप को अपने दादा हरी सिंह से जरिये वसीयत प्राप्त हुई वह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 के खाता संख्या 90 एवं 81 में दर्ज है।

**उनका आगे कथन था कि** अपीलार्थी द्वारा कृषि भूमि जो चक 67 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 90/87 एवं 81/83 में कुल 3.130 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, के सम्बन्ध में आपसी सहमति से उक्त भूमि को अपने भाई सुखदीप सिंह को जरिये दान पत्र प्रदान करने की इच्छा जाहिर की गई जिस पर दिनांक 11.01.2022 को इस सम्बन्ध में एक दस्तावेज दान पत्र अपीलार्थी द्वारा अपने भाई सुखदीप सिंह के हक में निष्पादित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:55 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे यह भी कथन था** कि उक्त दान पत्र निष्पादित कर सम्बन्धित उप पंजीयक अधिकारी, अनूपगढ के कार्यालय में पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे उप पंजीयक अधिकारी, अनूपगढ द्वारा ... ट अंकित कर अपीलार्थी को वापिस लौटा दिया कि मूल दस्तावेज दान पत्र लौटाया जाता

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

है चूंकि पक्षकारणगण पंजाब के निवासी होने के कारण एवं राजस्थान के मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण दान पत्र पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उप पंजीयक, अनूपगढ को दस्तावेज दान पत्र पंजीबद्ध करने के आदेश दिये जावे।

**अपीलार्थी द्वारा उप पंजीयक अधिकारी**, अनूपगढ के द्वारा प्रस्तुत किये गये दान पत्र दिनांक 11.01.2022 बाबत कृषि भूमि चक 67 जीबी तहसील अनूपगढ के खाता संख्या 90 एवं 81 में कुल 3.130 हैक्टेयर कृषि भूमि को पंजीबद्ध न कर दस्तावेज दान पत्र पंजीबद्ध न कर बिना किसी विधिसम्मत कारण के वापिस लौटाने के कारण अपील प्रस्तुत किया जाना अंकित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के संलग्न पंजीयन हेतु विवरण पत्र (राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–57 के तहत) भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें मौका निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है, जो रिक्त है तथा जिस पर निरीक्षणकर्त्ता एंव उप पंजीयक के हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज की पुश्त पर निम्नानुसार अंकित किया है:

***मूल दस्तावेज लौटाया जाता है। पार्टी पंजाब की होने के कारण व राजस्थान का मूल निवासी संलग्न नहीं है।***

**अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त** रिपोर्ट पर किसी कार्यालय का नाम, दिनांक या हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं और ना ही एसे कोई आदेश अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में किसी भी आदेश की प्रति नहीं होने के कारण यह ज्ञात नहीं होता कि प्रकरण उप पंजीयक, अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत हुआ भी है अथवा नहीं? बिना किसी आदेश के कोई भी ग्रहण नहीं की जा सकती, इसलिए अपीलार्थी की अपील ग्रहण नहीं की जा सकती और इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन के आ[illegible] अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। यह आदे[illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे[illegible]** [illegible] बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:55 IST
Reason: SelfAttested

**(रूक्मणि रियार सिहाग)**
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर